



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 95/2014

1. अरुणा दीक्षित पुत्री स्व. वाई. डी. दीक्षित, आयु लगभग 48 वर्ष निवासी खपरगंज, बिलासपुर, थाना कोतवाली, बिलासपुर, तह. बिलासपुर सिविल और राजस्व जिला बिलासपुर (छ०ग०)

----- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, थाना माना, सिविल और राजस्व रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. सचिव/पंजीयक सहकारी समितियों विभाग, छत्तीसगढ़ शासन विवेकानंद नगर पेंशन बाड़ा चौक, रायपुर, थाना सिविल लाइन, सिविल और राजस्व जिला रायपुर (छ.ग.)

3. महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, गैमेट हाउस, वर्ली मुंबई, थाना वर्ली, जिला मुंबई (महाराष्ट्र)

4. लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित मिलेनियम प्लाजा कॉम्प्लेक्स, जी. ई. रोड, रायपुर, थाना सिविल लाइन, सिविल और राजस्व जिला रायपुर (छ.ग.)

-----उत्तरवादी/उत्तरवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता

/राज्य के लिए: सुश्री स्मृति शर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता

क्र.3 के लिए: श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता

क्रमांक 4 के लिए: श्री कनक तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री जितेंद्र पाली, अधिवक्ता



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

सी ए वी आदेश

15 /05/2015

1. याचिकाकर्ता सुश्री अरुणा दीक्षित, बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, बिलासपुर (संक्षेप में 'बिलासा बैंक') की पूर्व अध्यक्ष और शेयरधारक ने छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (संक्षेप में 'अधिनियम, 1960') के तहत पंजीयक छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों के द्वारा पारित आदेश की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है जिसमें बिलासा बैंक को उत्तरवादी संख्या 4 यानी लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (संक्षेप में 'लक्ष्मी बैंक') के साथ विलय का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अनुमान लगाया गया है, यह है कि बिलासा बैंक की स्थापना और गठन अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1996 में किया गया था। उक्त बैंक अपने सदस्यों और निर्वाचित पदाधिकारियों के माध्यम से अपने व्यवसाय और क्रियाकलाप का संचालन कर रहा था। चूक और कुप्रबंधन करने पर, बिलासा बैंक के निदेशक मंडल को 13.09.2006 को अतिक्रमित कर गया था। अतिक्रमक के उक्त आदेश को दिनांक 12.09.2007 के आदेश के माध्यम से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तथापि 02.01.2010 तक विस्तार का कोई आदेश नहीं था जब एक और आदेश पारित किया गया था जिसमें अतिक्रमण को जारी रखने और उक्त तिथि से एक वर्ष तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। 30.12.2010 को 12.09.2011 तक की अवधि के लिए एक और विस्तार दिया



गया था। अतिक्रमक के प्रथम आदेश में, सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक श्री डी. आर. ठाकुर को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 02.01.2010 के आदेश में भी बने रहे, तथापि दिनांक 30.12.2010 के तृतीया आदेश में, श्री निर्मल तिर्की को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. प्राधिकृत अधिकारी ने बिलासा बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दिनांक 7.11.2009 को बुलाई और उक्त बैठक में वर्तमान याचिकाकर्ता सहित बिलासा बैंक के शेयरधारकों द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद लक्ष्मी बैंक के साथ बिलासा बैंक के समामेलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार, पंजीयक ने

भारतीय रिजर्व बैंक (संक्षेप में 'आरबीआई') द्वारा अनुमोदन के लिए विलय का प्रस्ताव भेजा। आर. बी. आई. ने अपने दिनांक 21.05.2010 के सूचना के माध्यम से प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 02.02.2005 में

परिकल्पित दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आर. बी. आई. ने उक्त पत्र के साथ विलय आवेदन और दस्तावेज पंजीयक को वापस कर दिए। इसके अनुसरण

में, बिलासा बैंक के अधिकारियों की एक बैठक 15.06.2010 पर बुलाई गई थी और

अन्य दस्तावेजों के साथ निर्णय लक्ष्मी बैंक द्वारा 07.07.2010 को पंजीयक को भेजा

गया था, जिन्होंने बदले में, प्रस्ताव को फिर से आर.बी.आई को प्रस्तुत किया और

अंततः आर.बी.आई. ने 27.12.2010 पर वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (संक्षेप में 'एन

ओ सी') जारी किया। उक्त एन. ओ. सी. पश्चात सहकारी समितियों के पंजीयक ने

विलास बैंक के लक्ष्मी बैंक के साथ विलय का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित

किया है।





4. तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1960 की धारा 77 के तहत राज्य शासन के समक्ष अपील की और राज्य शासन ने 19.07.2011 के आदेश के माध्यम से पंजीयक के दिनांक 18.01.2011 के आदेश को अपास्त कर दिया।

5. लक्ष्मी बैंक राज्य शासन के आदेश दिनांक 19/7/2007 को चुनौती देते हुए डब्ल्यू.पी सी 4095/2011 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर 'स्वीकार किया गया था' कि अधिनियम, 1960 की धारा 79 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, राज्य शासन के समक्ष अपील पोषणीय नहीं थी, तथापि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता और बिलासा बैंक के लिए इसे खुला छोड़ दिया

कि वे दिनांक 18.1.2011 के आदेश की विधि मान्यता को चुनौती देने के विधि के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचार का सहारा लें। इस प्रकार, वर्तमान याचिका पंजीयक के दिनांक 18.01.2011 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दायर की गई है।

परस्पर विरोधी तर्क

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मजूमदार ने कहा है:

- ✓ दिनांक 07.11.2009 को आयोजित बिलासा बैंक के शेयरधारकों की बैठक की तिथि पर, उक्त क्षमता में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् श्री डी.आर. ठाकुर के पक्ष में कोई आदेश प्रभावी नहीं था, इसलिए, संकल्प स्वयं सक्षम नहीं था;



- ✓ बैठक आयोजित करने, सम्मेलन की योजना तैयार करने आदि के संबंध में अधिनियम, 1960 की धारा 16 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए, उक्त प्रावधान आज्ञापक होने के कारण, बैंक का सम्मेलन स्वमेव अवैध है;
- ✓ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति नियम, 1962 (संक्षेप में 'नियम, 1962') के नियम 11 का पालन नहीं किया गया है क्योंकि सम्मेलन की योजना इस नियम में निहित आज्ञापक प्रावधान के अनुसार नहीं बनाई गई है।
- ✓ आर. बी. आई. ने एक बार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, बिलासा बैंक के शेयरधारकों की बैठक नए सिरे से बुलाई जानी चाहिए थी और पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जानी चाहिए थी, और ऐसा नहीं किया गया था, विलय का निर्देश देने वाला आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है।
- ✓ आर. बी. आई. द्वारा दी गई एन. ओ. सी. स्वयं यह प्रावधान करती है कि सम्मेलन से संबंधित राज्य विधियों का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए, इसका पालन नहीं किया गया है, एन. ओ. सी. का प्रदान किया जाना सम्मेलन को मान्य नहीं करेगा, जिसकी विधि में कोई पवित्रता नहीं है; और
- ✓ याचिकाकर्ता के अनुसार, एनओसी देते समय, आर. बी. आई. केवल वित्तीय पहलुओं की जांच करता है।





उपरोक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने के. आई. शेफर्ड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य¹ तथा पुट्टप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य² में दिए गए निर्णयों पर भरोसा रखा।

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 4 के लिए श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री जितेन्द्र पाली राज्य की ओर से उपस्थित उपशासकीय अधिवक्ता सुश्री स्मृति शर्मा और उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने तर्क प्रस्तुत किया कि

✓ याचिकाकर्ता के पास आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है

क्योंकि बिलासा बैंक के निर्देश मंडल को अतिक्रमित कर दिया गया है।

✓ याचिकाकर्ता के पास न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर करने का

वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है;

✓ अधिनियम, 1960 की धारा 16 और नियम, 1962 के नियम 11 के अंतर्गत

निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

✓ याचिकाकर्ता ने बिलासा बैंक के अध्यक्ष/निदेशक के रूप में अपनी क्षमता का

दुरुपयोग किया है, जिसके कारण उसे अधिक्रमण और उसके बाद विलय का

निमंत्रण मिला है, इसलिए उसे विलय के आदेश को चुनौती देने से विबंधित कर

दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक नया बैंक पूर्व से ही प्रचलन में आ

गया है। इसलिए रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

¹ (1987) 4 SCC 431 : AIR 1988 SC 686

² AIR 1978 karnataka 148



- ✓ यह कहा गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1949') की धारा 56 के भाग V में निहित प्रावधानों के आधार पर (संक्षेप में 'अधिनियम, 1949') सहकारी बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के लागू होने के संबंध में, विशेष रूप से धारा 56 (डी) सहकारी बैंकों के लिए उक्त अधिनियम में एक नई धारा 5ए लागू करने के संबंध में, अधिनियम, 1949 सोसायटी के उपनियमों या अनुबंध या संकल्प के अन्य प्रावधानों पर अधिभावी होगा, इसलिए, एक बार जब भारतीय रिज़र्व बैंक समामेलन को मंजूरी दे देता है, तो इसे राज्य विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

- ✓ सुश्री स्मृति शर्मा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम, 1960 की धारा 16 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया निदेशात्मक है, इसलिए, भले ही उक्त प्रावधान का पालन न किया गया हो, लेकिन यह आलोच्य आदेश को दूषित नहीं करेगा; तथा

- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पाटनकर ने यह भी कथन किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक केवल विलय प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं से संबंधित है और राज्य अधिनियमों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन की देखरेख करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय



जोसेफ कुरुविला वेलुकुनेल बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य³ और भारतीय रिजर्व बैंक बनाम एम. हनुमैया और अन्य⁴ का अवलंब लिया है।

8. वर्तमान प्रकरण में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मूल मुद्दा है

- क्या उत्तरवादी उत्तरवादी ने अधिनियम, 1960 की धारा 16 और नियम, 1962 के नियम 11 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, यदि हां, तो क्या प्रावधानों के इस तरह के गैर-अनुपालन ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया है?
- 07.11.2009 को बैठक बुलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री डी. आर. ठाकुर की योग्यता थी, यदि वह सक्षम नहीं थे तो उसका प्रभाव

- राज्य विधि के प्रावधान

9. अधिनियम, 1960 की धारा 16 में सोसायटी के पुनर्गठन का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:

16. सोसायटियों का पुनर्गठन— (1) इस धारा में—

- (क) 'प्रभावित' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है और

³ AIR 1962 SC 137

⁴ (2008) 1 SCC 770



(ख) 'परिणामी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी- (एक) जो उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी हो, या

(दो) जिसको कि प्रभावित सोसाइटियों की आस्तियाँ तथा उनके दायित्व उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पूर्णतः या भागतः अन्तरित किये गये हो: या

(तीन) जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विभाजन के परिणामस्वरूप बनी हो: या

(चार) जो उपधारा (2) के खण्ड (घ) में यथा उपबंधित वर्ग की तब्दीली के परिणामस्वरूप बनी हो ।

(2) कोई सोसाइटी-

(क) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके: या

(ख) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः या भागतः अन्तरित करके, या

(ग) स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके: या

(घ) स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के, जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्त्वतः भिन्न न हो जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय उस प्रयोजन





के लिये आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी:

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्टार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाये:

{परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्टार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा अन्यथा नहीं। }

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ रजिस्टार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों के हित में यह अत्यावश्यक है, या किसी सोसाइटी के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियां उपधारा (2) में उपदर्शित की गई रीतियों में से किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित करें/ करे:

परन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्टार कोई निर्देश रिजर्व बैंक कि लिखित पूर्व मंजूरी से ही जारी करेगा अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और भी इस धारा के अधीन रजिस्टार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा }



(4) यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन विश्रिय या उपधारा (3) के अधीन रजिस्टार के निर्देश के अनुसार किसी सोसाइटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि विहित की जाय ।

(5) यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पडना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जायेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसाइटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करे और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा।

(6) कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की, जिसके हित पर प्रभाव पडना संभाव्य है, अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसे दिये गये विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई न समझी जाती हो, और इसके अतिरिक्त, जब तक कि उन व्यक्तियों के, जिन्होंने उपधारा (5) के अधीन अपने अंशों या हितों या शोध्यों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णतः पूर्ति न कर दी गई हो:

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन, उसकी संपत्ति, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार, कर्तव्य तथा बाध्यताएं ऐसी होगी, जैसी कि पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे परिणामिक,



आनुषंगिक तथा अनुपूरक उपबंध होंगे जैसे कि, रजिस्टार की राय में, ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

(8) संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (1882 का अधिनियम सं० 4) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का अधिनियम सं० 16)में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प, जो रजिस्टार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो या कोई ऐसा आदेश, जो रजिस्टार द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो, प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा और ऐसा निहित किया जाना पुनर्गठन के स्कीम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये ही होगा।

(9) सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसा पुनर्गठन उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथास्थिति उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

(10) जहाँ कोई दो या अधिक सोसाइटियाँ समामेलित की गई हों या कोई सोसाइटी विभाजित या संपरिवर्तित की गई हो, वहां ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के



रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह समामेलित सोसाइटी के या संपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियों के, जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

(11) जहां किसी भू-बंधक बैंक को किसी केन्द्रीय बैंक के साथ समामेलित करके पुनर्गठित किया जाता हो वहां उस समामेलित बैंक को उस भू-बन्धक बैंक के कारोबार संबंधी उन समस्त संव्यवहारों के संबंध में जो कि ऐसे समामेलन पर और उसके पश्चात् किये जाने हैं, भू-बंधक बैंकों से संबंधित तत्समय प्रवृत्तविधि के अंतर्गत भू-बंधक बैंक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'केन्द्रीय बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके नाम के भाग के रूप में शब्द 'केन्द्रीय बैंक' या 'जिला' जुड़े हुए हों और जिसका मुख्य उद्देश्य उन सोसाइटियों का, जो कि उसकी सदस्य हों, और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हों, वित्तपोषण करना हो।

(12) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

10. धारा 18 में किसी सोसायटी के किसी अन्य सोसायटी के साथ विलय के परिणामस्वरूप पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। रद्दीकरण के ऐसे आदेश की तिथि से सोसायटी विघटित मानी जाएगी और एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी।

11. नियम 1962 के नियम 11 में सोसायटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियम इस प्रकार है:-



11. संस्थाओं का पुनर्गठन- (1) धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन प्रत्येक संस्था जो कि एकीकरण, अस्तित्वों और दायित्व का अन्तरण विभाजन या रूपान्तरण करना चाहती हो, पुनर्गठन हेतु सम्पूर्ण योजना तैयार करेगी, यह निर्देश करते हुए कि किसी प्रकार प्रस्तावित एकीकरण आस्तियों और दायित्व का अन्तरण विभाजन या रूपांतरण संस्था के लिए उपयोगी होगा एवं उसे लागू किया जाएगा । जिस योजना में संस्था का दो या अधिक संस्थाओं में विभाजन सन्निहित हो उसमें संस्था के विभाजन स्वरूप बनने वाली नई संस्था या संस्थाओं का नाम, कार्यक्षेत्र प्रारूप उपविधियों से संबंधित प्रस्ताव तथा सदस्यों व साहूकारों की सूची होगी जिस योजना में संस्था का ऐसे वर्ग में रूपांतरण सन्निहित हो जिसका उद्देश्य सार रूप से उस वर्ग से भिन्न हो जिसके नीचे वह अधिनियम के अधीन वर्गीकृत की गई हो तो उसके साथ उस वर्ग की संस्था की प्रारूप उपविधियाँ होगी जिस वर्ग के अन्तर्गत संस्था का रूपांतरण होना है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पुनर्गठन की योजना बना लेने के पश्चात् संस्था अपने सभी सदस्यों को प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ 21 दिन की लिखित सूचना देकर विशेष साधारण सभा बुलायेगी । ऐसी दशा में जब संस्था अन्य संस्था (जिसका आगे अन्य संस्था के नाम से उल्लेख है) के साथ एकीकरण या उसको आस्तियों और दायित्व के अन्तरण विभाजन या रूपांतरण जैसी भी स्थिति हो के लिए विशेष साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ठहराव पारित करेगी तथा एकीकरण अथवा आस्तियों और दायित्व के अन्तरण करने की दशा में ऐसे ठहराव की प्रतिलिपि अन्य संस्था को भेजेगी ।



(3) ठहराव प्राप्त होने पर अन्य संस्था अपने सदस्यों को 21 दिन की लिखित सूचना के साथ पुनर्गठन योजना एवं उपविधियों के प्रारूप संशोधन भेजकर विशेष साधारण सभा बुलायेगी और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत सं पुनर्गठन योजना और उपविधियों के संशोधन को, यदि कोई हो, स्वीकृत करने का ठहराव पारित करेगी तथा अनुमोदन से संबंधित अपने ठहराव की प्रतिलिपि उस संस्था को भेजेगी जिसने अपना पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

(4) प्रभावित संस्था एकीकरण अथवा अस्तियों और दायित्व के अन्तरण की दशा में उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर तथा विभाजन या रूपांतरण की दशा में उप-नियम (2) के अधीन प्रस्ताव पारित होने पर धारा 16 की उप-धारा (5) व (6) के अधीन कार्यवाही करेगी।

(5) प्रभावित संस्था उसके द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पंजीयक को भेजेगी तथा उनसे एकीकरण आस्तियों और दायित्व का अन्तरण, विभाजन या रूपान्तरण के निर्णय को अनुमोदित करने का निवेदन करेगी।

(6) उप-नियम (5) के अधीन प्रभावित संस्था से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंजीयक को स्वयं का संतोष हो जाने पर कि विधि का ठीक तरह से अनुसरण किया गया है, वह संस्था के निर्णय को स्वीकृत करेगा और एकीकृत विभाजित या रूपांतरित संस्था या संस्थाओं का पंजीयन करेगा।

(7) (क) किसी भी संस्था या संस्थाओं के बारे में एकीकरण आस्तियों और दायित्व का अन्तरण विभाजन या रूपांतरण के संबंध में धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन निर्देशन देने के पूर्व पंजीयक ऐसे एकीकरण आस्तियों और दायित्व के अन्तरण



विभाजन या रूपांतरण के संबंध में पुनर्गठन की प्रारूप योजना, विशेषतः वह रीति जिसमें एकीकरण आस्तियाँ और दायित्व के अन्तरण विभाजन या रूपांतरण के परिणामस्वरूप बनने वाली संस्था या संस्थओं की नई कमेटी या कमेटियाँ गठित की जाएगी तथा उपविधियाँ जो कि ऐसी संस्था या संस्थाएँ अपनाएंगी उनका उल्लेख करते हुए बनाएगा पंजीयक धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन उसके द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित प्रारूप निर्देश की प्रतिलिपि संबंधित संस्था अथवा संस्थओं में से प्रत्येक को उससे या उनसे (संस्था या संस्थाओं से) यह मॉग करते हुए भेजेगा कि वह / वे अपने किसी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकारों के वर्ग से आपत्तियाँ या सुझाव आमंत्रित करें और ऐसी आपत्तियाँ या सुझावों को उसकी या उनकी राय सहित उस अवधि में भेजे जो कि पंजीयक निर्धारित करें।

(ख) पंजीयक ऐसी सभी आपत्तियों सुझावों और राय विचार करेगा तथा उन आपत्तियों सुझावों तथा राय के प्रकाश में जैसा उसे वांछित प्रतीत हो ऐसे संशोधन प्रारूप निर्देश में करेगा, तत्पश्चात 16 की उप-धारा (3) के अधीन अंतिम निर्देश किया जावेगा।

12. ऊपर उद्धृत अधिनियम, 1960 की धारा 16 और नियम, 1962 के नियम 11 में निहित प्रावधानों में कहा गया है कि प्रत्येक सोसायटी जो सम्मेलन को प्रभावित करना चाहता है, वह पुनर्गठन की एक पूरी योजना बनाएगा जो यह दर्शाता है कि प्रस्तावित सम्मेलन, परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण, विभाजन या रूपांतरण सोसायटी के लिए कैसे उपयोगी होगी और इसे कैसे प्रभावी बनाया जाएगा। ऐसी योजना तैयार करने पश्चात सोसायटी के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुनर्गठन की प्रस्तावित योजना के साथ अपने सभी सदस्यों को 21 दिनों की लिखित सूचना देकर एक विशेष आम बैठक बुलाए।



संपूर्ण या आंशिक रूप से परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सम्मेलन या किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरण की इच्छा रखने वाली सोसाइटी के प्रकरण में, सोसाइटी सूचना के लिए नोटिस और प्रस्तावित योजना की एक प्रति दूसरी सोसाइटी को भी भेजेगी। तत्पश्चात् सोसाइटी विशेष आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और सम्मेलन की प्रकरण में ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति अन्य सदस्यों को भेजेगी। तत्पश्चात्, अन्य सोसाइटी एक विशेष आम बैठक बुलाएगी और उसी रीति से एक प्रस्ताव पारित करेगी और प्रभावित सोसाइटी को उसकी एक प्रति भेजेगी, जो तत्पश्चात् पंजीयक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और प्रभावित सोसाइटी से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पंजीयक, स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया गया है, सोसाइटी के निर्णय को अनुमोदित करेगा और सम्मेलित, विभाजित या परिवर्तित सोसाइटी या सोसाइटी को पंजीकृत करेगा।

13. अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उप-धारा (5) में ऐसे व्यक्ति को, जो पुनर्गठन प्रकरण परिणामस्वरूप किसी भी तरह से प्रभावित होने की संभावना रखता है, एक नोटिस देने का भी प्रावधान है, जिसमें उसे ऐसी सूचना जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बनने या प्रभावित सोसाइटी प्रकरण संबंध में हिस्से या ब्याज या बकाया प्रकरण भुगतान की मांग करने का विकल्प दिया गया है। उप-धारा (6) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की सहमति, जिसके हित प्रभावित होने की संभावना है, उसे दिए गए विकल्प का उपयोग करने में विफलता के कारण प्राप्त नहीं की गई है या माना गया है, और इसके अलावा, जब तक कि उन



व्यक्तियों के सभी दावे जिन्होंने उप-धारा (5) के तहत अपने शेयरों या ब्याज या बकाया के भुगतान की मांग करने के विकल्प का उपयोग किया है, पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। उप-धारा (12) में आदेश दिया गया है कि ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक योजना को सामान्य जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

क्या राज्य के विधियों के प्रावधान/प्रक्रिया का पालन किया गया है ?

14. प्रस्तुत प्रकरण में, बिलासा बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक 07.11.2009 को बुलाई गई थी। बदले में, राज्य या लक्ष्मी बैंक ने न तो कोई अभिवचन किया है और न ही यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि दिनांक 7.11.2009 पर बुलाई गई सभा या उस मामले के लिए दिनांक 15.6.2010 को पर बुलाई गई बाद पश्चातवर्ती सभा एक विशेष आम सभा थी और उक्त सभा पुनर्गठन की प्रस्तावित योजना के साथ अपने सभी सदस्यों को 21 दिनों की लिखित सूचना देकर आयोजित की गई थी। इस प्रकार, अधिनियम, 1960 की धारा 16 (2) और नियम, 1962 के नियम 11 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

15. इसी तरह, पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में बिलासा बैंक द्वारा बनाए गए प्रस्तावित समामेलन के पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि विलय योजना जिसका उल्लेख दस्तावेज अनुलग्नक-आर 4/9 में मिलता है, जो 15.06.2010 पर आयोजित बिलासा बैंक के विहित अधिकारी की बैठक का कार्यवृत्त है, जो शेयर धारको कि सभा थी। यहां तक कि यह दस्तावेज एक विलय योजना को संदर्भित करता है न कि समामेलन को प्रभावित करने वाली पुनर्गठन की योजना को, जैसा कि अधिनियम, 1960 की धारा 16 (2) और नियम, 1962 के नियम 11 में कहा गया है।



दस्तावेज अनुलग्नक-आर पर बिलासा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। यह बैठक के कार्यवृत्त या वार्षिक आम सभा में पारित बिलासा बैंक के शेयरधारकों की सभा या विशेष आम सभा के प्रस्ताव प्रति नहीं है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि विलय योजना या पुनर्गठन की योजना को अपनाने के लिए बिलासा बैंक के सदस्यों की कोई सभा नहीं बुलाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मी बैंक ने विलय योजना को स्वीकार कर लिया है और 26.05.2010 को आयोजित अपने निदेशकों की सभा में इसे मंजूरी के लिए RBI को भेजने का निर्णय किया है। इस प्रकार, यह सभा बिलासा बैंक के विहित अधिकारी की सभा से पहले ही हुई है, जो भी रसका प्रभाव मूल्य हो, उक्त सभा 15.06.2010 को आयोजित की गई थी। नियम, 1962 के नियम 11 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत, विलय द्वारा पुनर्गठन की योजना को प्रभावित सोसायटी के दो-तिहाई बहुमत अर्थात् बिलास बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना है और तत्पश्चात् इसे दूसरी सोसायटी अर्थात् लक्ष्मी बैंक को भेजा जाना आवश्यक है, जो तब 21 दिनों की सूचना देते हुए अपने सदस्य की एक विशेष आम बैठक बुलाएगा और पुनर्गठन की योजना को मंजूरी देते हुए दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा। 15.06.2010 के पश्चात् लक्ष्मी बैंक द्वारा बुलाई गई किसी विशेष आम सभा का कोई दस्तावेज नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी बैंक ने भी नियम 11 (3) का उल्लंघन किया है।

16. विचारणीय एक अन्य मुद्दा प्राधिकृत अधिकारी की 07.11.2009 को बैठक बुलाने की योग्यता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार, श्री ठाकुर की प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्ति उक्त तिथि को सक्रिय और प्रभावी नहीं थी। निर्विवाद रूप से, बिलासा बैंक को 13.09.2006 को हटा दिया गया था और इसके बाद



श्री ठाकुर को एक वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत पद पर नियुक्त किया गया। इसे 12.09.2007 को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, हालांकि, 12.09.2008 को और उसके बाद 07.11.2009 को बुलाई गई बैठक तक श्री ठाकुर के कार्यकाल में विस्तार का कोई आदेश नहीं है। विस्तार का तीसरा आदेश 02.01.2010 को पारित किया गया, जो इस प्रकार है:

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र/साख-3/नाग बैंक/09-10/35

रायपुर दिनांक 2/1/10

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / साख-3 /नाग. बैंक/06/4693 दिनांक 13.09.06 द्वारा बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या० बिलासपुर के संचालक मंडल की प्रथमतः 01 वर्ष के लिए हटाया गया था एवं आदेश क्रमांक 4815 दिनांक 12.09.07 द्वारा इसमें एक वर्ष वृद्धि की गई थी। संचालक मंडल को अधिक्रमित करते हुए समय लगाये गये आरोप आज भी विद्यमान है। इसलिए बैंक के सदस्यों एवं जमाकर्ताओं के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुये संचालक मंडल की अधिक्रमण अवधि को लगातार जारी रखते हुये इसमें आगामी एक वर्ष के लिये वृद्धि किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के तहत संचालक मंडल के अधिक्रमण की अवधि में आगामी एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जाती है। तथा श्री डी०एस० ठाकुर, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यथावत बनें रहेंगे।



यह आदेश आज दिनांक 31.12.2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

सही/-

(के० श्रीनिवासुलू)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़

क्र/साख 3/नाग. बैंक/09-10/35

रायपुर दिनांक 2/1/10

. प्रतिलिपि —

- 1) महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सुभाषीश परिसर, सुन्दर नगर, रायपुर।
- 2) सचिव, छ०ग० शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
- 3) कलेक्टर, बिलासपुर की और सूचनार्थ ।
- 4) संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर को उनके पत्र क्रमांक 2144 दिनांक 11.12.09 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 5) श्री डी०एस०ठाकुर, प्राधिकृत अधिकारी, बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या० बिलासपुर एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 6) प्रबंधक, बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या० बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



सही/-

पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़

17. उपरोक्त दिनांक 02.01.2010 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 13.09.2006 पर पारित अतिक्रमक के आदेश को 12.09.2007 पर एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तथापि चूंकि स्थिति नहीं बदली है, इसलिए अतिक्रमक के आदेश को जारी रखने और आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है। तत्पश्चात परिचालन भाग में कहा गया है कि अधिवेत्तन को 02.01.2010 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और श्री ठाकुर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार, आदेश में कहीं भी श्री ठाकुर के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने की पुष्टि नहीं की गई है, जब तक अर्थात् श्री ठाकुर द्वारा बिलासा बैंक के सदस्यों की वार्षिक आम सभा बुलाई गई थी। जाहिरा तौर पर, श्री ठाकुर को उस दिन बिलासा बैंक की वार्षिक आम सभा बुलाने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था क्योंकि कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है, यहां तक कि 12.09.2008 से 02.01.2010 तक की अवधि के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने वाला एक पूर्व कार्योत्तर आदेश भी मौजूद नहीं है। इस प्रकार श्री डी. आर. ठाकुर के दिनांक 07.11.2009 पर बिलासा बैंक के शेयरधारकों की एक सभा नहीं बुला सके।



18. उत्तरवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी बैंक के साथ बिलासा बैंक के प्रस्तावित सम्मेलन के लिए एन. ओ. सी. जारी किया है, यह न्यायालय विलय को बातिल करने के लिए उक्त एन. ओ. सी. को अपील पर नहीं रोक सकता है क्योंकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य विशेष प्रकृति के होने के कारण रिट कोर्ट के पास ऐसा कोई आदेश पारित करने का अधिकारिता नहीं है।

19. उत्तरवादी के उपरोक्त तर्क का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.02.2005 को जारी शहरी सहकारी बैंकों के विलय/एकीकरण के लिए दिशानिर्देशों में नियोजित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 2 और 3 और उक्त दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 1 के पैरा 4 को संदर्भित किये जाने की आवश्यकता है, इसलिए, उन्हें यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

2. हालांकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ए. ए. सी. एस.) रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों के विलय और एकीकरण के संबंध में एक योजना तैयार करने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने-अपने सहकारी समितियों के अधिनियमों में विलय या पुनर्निर्माण की योजना को मंजूरी देने के लिए एक आदेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व मंजूरी प्राप्त करने का प्रावधान शामिल किया है।

3. विलय का अनुरोध उसी राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत बैंकों से या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम (केंद्रीय अधिनियम) के तहत पंजीकृत बैंकों से राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत बैंक/बैंकों के अधिग्रहण के लिए किया जा सकता है। जबकि राज्य अधिनियमों में विशेष रूप से उनके तहत





पंजीकृत सहकारी समितियों के विलय का प्रावधान है, केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक द्वारा राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक के बारे में स्पष्ट नहीं है। हालांकि राज्य अधिनियमों या केंद्रीय अधिनियम में केंद्रीय अधिनियम के तहत राज्य अधिनियमों के तहत एक सहकारी समिति के विलय के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन यह महसूस किया जाता है कि यदि संबंधित अधिनियमों के प्रशासकों सहित सभी संबंधित विलय/एकीकरण का आदेश देने के लिए सहमत हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावों पर विचार कर सकता है और सुसंगत विधियों के अनुपालन का सवाल अधिनियमों के प्रशासकों पर छोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, रिजर्व बैंक इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करते समय अपनी जांच केवल वित्तीय पहलुओं और जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता तक ही सीमित रखेगा।

अनुलग्नक 1

4. विलय की प्रक्रिया या तो स्वैच्छिक या अन्यथा संबंधित राज्य विधियों/बहु राज्य सहकारी समितियों के अधिनियम में उल्लेखित है। पंजीयक, अधिनियमों के प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ विहित अधिकारी होने के नाते, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेने से पहले विधि में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात समामेलन को अधिसूचित करने के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।



20. इसी तरह, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एन. ओ. सी. के पैरा 2 को भी संदर्भ की आवश्यकता है, इसलिए, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

2. शहरी सहकारी बैंकों के विलय/एकीकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय पहलुओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा विलय प्रस्ताव की जांच की गई है और हमें निम्नलिखित शर्तों/टिप्पणियों के अधीन लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर (अधिग्रहणकर्ता बैंक) के साथ बिलासा महिला सहकारी बैंक मर्यादा, बिलासपुर (टारगेट बैंक) के प्रस्तावित विलय पर कोई आपत्ति नहीं है।

(i) जहां योजना में राजस्व प्राधिकरणों, सहकारी समितियों के पंजीयक, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक आदि जैसे अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रावधान हैं, रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को योजनाओं के ऐसे सभी प्रावधानों के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। एन. ओ. सी. का अर्थ यह होगा कि रिजर्व बैंक ने अधिग्रहण और अधिग्रहणकर्ता बैंकों के जमा संरक्षण और विलय के बाद विवेकपूर्ण वित्तीय मानकों के साथ अधिग्रहणकर्ता बैंक के अनुपालन के दृष्टिकोण से प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं पर ध्यान दिया है। जहां भी आवश्यक हो, बैंक को अन्य प्रावधानों के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता है।

(ii) क - 'सैद्धांतिक रूप से, हमें अधिग्रहणकर्ता बैंक के संचालन के क्षेत्र के भीतर अधिग्रहित बैंक की शाखाओं को स्थानांतरित करने/स्थानांतरित





करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि इसके पास वैध प्राधिकरण हो और स्थानान्तरित/अंतरण शाखाओं के ग्राहकों को अधिग्रहणकर्ता/ अधिग्रहित बैंक की मौजूदा शाखाओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाए। अधिग्रहणकर्ता बैंक को शाखाओं के इस तरह के स्थानान्तरण/अंतरण के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

ख - अधिग्रहणकर्ता बैंक को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत जारी हस्तांतरणकर्ता बैंक के लाइसेंस और विलय के तुरंत पश्चात शाखा प्राधिकरण के बदले नए प्राधिकरण जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करना चाहिए।

(iii) अधिग्रहणकर्ता बैंक को उचित समय के भीतर अधिग्रहित बैंक से लिए गए ग्राहकों के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए।

((iv) अधिग्रहणकर्ता बैंक को विधिक उपायों सहित टारगेट बैंक के एन. पी. ए. की वसूली के लिए सभी रास्ते अपनाने चाहिए।

(v) अधिग्रहित बैंक के अधिकारियों और प्रबंधन या कर्मियों के खिलाफ पहले से शुरू की गई सभी सिविल और दंडिक कार्यवाही को बिना किसी कमी के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिग्रहणकर्ता बैंक को को स्थापित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

उचित जाँच, जहाँ धोखाधड़ी, गबन आदि का पता चला है और ऐसी अनुशासनात्मक सिविल/दांडिक कार्रवाई शुरू की जाती है जो उसके बाद





आवश्यक होगी। अधिग्रहणकर्ता बैंक को इस संबंध में की गई कार्रवाई और प्रगति के बारे में विलय की तिथि से छह महीने के भीतर रिजर्व बैंक को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) अधिग्रहणकर्ता बैंक को विलय के वर्ष सहित पांच वर्षों की अवधि के भीतर विलय पर ख्याति, यदि कोई हो, का परिशोधन करना चाहिए।

((vii) अधिग्रहित बैंक से ली जाने वाली गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों का विलय की तिथि से सात वर्षों की विस्तारित अवधि के भीतर निपटान किया जा सकता है।

(viii) विलय की संदर्भ तिथि, जैसा कि आर. सी. एस., छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासा महिला सहकारी मर्यादा, बिलासपुर के लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायपुर के साथ प्रस्तावित विलय के लिए अपने आदेश में संदर्भ तिथि जा सकती है, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए संदर्भ तिथि के रूप में मानी जाएगी।

21. दिशानिर्देशों और एन. ओ. सी. की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, विलय/समामेलन के लिए एन. ओ. सी. प्रदान करने हेतु पर विचार करते समय, इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करते समय केवल वित्तीय पहलुओं और जमाकर्ताओं के हित के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता तक अपनी जांच को सीमित रखता है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियमों के प्रशासकों पर सुसंगत विधियों के अनुपालन का सवाल छोड़ देता है और पंजीयक, अधिनियमों को प्रशासित करने की जिम्मेदारी के साथ निहित अधिकारी होने के कारण, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से



अनुमोदन प्राप्त करने से पहले विधि में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उक्त प्रावधानों का प्रभाव यह होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उक्त अधिनियमों के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के रूप में माना जाता है और न ही यह अनुमोदित करता है या कमजोर करता है यदि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

22. के. आई. शेफर्ड (पूर्वोक्त) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने बैंक के कर्मचारियों की तुलना में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर विचार करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“12.....जब कोई राज्य एजेंसी प्रशासनिक रूप से कार्य करती है, तब भी

नैसर्गिक न्याय के नियम लागू होंगे। जैसा कि कहा गया है, **प्राकृतिक** न्याय के लिए आम तौर पर यह आवश्यक है कि प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों या कार्यवाहियों से सीधे प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को जो प्रस्तावित किया गया है उसकी पर्याप्त सूचना दी जाए ताकि वे (ए) अपनी ओर से अभ्यावेदन करने की स्थिति में हो सकें; (बी) या सुनवाई या जांच में उपस्थित हो सकें (यदि संचालित किया जाता है); और (सी) अपना मामला प्रभावी ढंग से तैयार करने और प्रकरण का जवाब देने के लिए (यदि कोई हो) उन्हें मिलना होगा।”

23. प्रस्तुत प्रकरण में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अधिनियम, 1960 की धारा 16 (2) और नियम, 1962 के नियम 11 में निहित प्रावधानों में अंतर्निहित है क्योंकि इन प्रावधानों में प्रभावित सोसायटी के सदस्यों को 21 दिनों से पहले नोटिस का प्रावधान किया गया है; पुनर्गठन की योजना बनाने के चरण में उनकी भागीदारी और 21



दिनों का नोटिस जारी नहीं करके उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है; बिलासा बैंक के सदस्यों को पुनर्गठन/एकीकरण की योजना प्रसारित नहीं करके; और एक विशेष सभा आयोजित नहीं करके, आक्षेपित एकीकरण को प्रभावित करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

24. अधिनियम, 1960 की धारा 16 (2) और नियम, 1962 के नियम 11 (2) (3) (4) और (5) की भाषा से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने सभी प्रमुख स्थानों पर 'होगा' शब्द का उपयोग किया है और चूंकि समामेलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य और आशय प्रभावित सोसायटी के सदस्यों को सुनना और शामिल करना है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी उसमें अंतर्निहित हैं, इसलिए यह प्रावधान आज्ञापक है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में बनाम बाबू राम उपाध्याय⁵, हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक और अन्य⁶, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव⁷, रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड, रामपुर बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, रामपुर⁸, और राय विमल कृष्णा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य⁹.

25. उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपाल और अन्य¹⁰ के मामले में इस प्रकार निर्णय दिया:

32. पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक अवधारणा/विचार है, जो प्रकृति में न्यायसंगत है, जिसे उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए तैयार

⁵ AIR 1961 SC 751

⁶ AIR 1955 SC 233: [1955] 1 SCR 1104

⁷ AIR 1957 SC 912

⁸ AIR 1965 SC 895

⁹ (2003) 6 SCC 401

¹⁰ 2011) 1 SCC 236



किया गया है जहां एक पक्ष वह सब करता है जो उचित रूप से उससे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ छोटे या असंगत पहलुओं में विफल या त्रुटिपूर्ण है जिन्हें आवश्यकताओं के "सार" या "सार" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "तर्कसंगतता" की अवधारणा की तरह, "पर्याप्त अनुपालन" की याचिका की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और इसके उद्देश्य और आशय पर निर्भर करता है। नियम या विनियमन के उद्देश्य और आशय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाओं का संदर्भ। इस तरह के बचाव का अनुरोध नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व शर्त जो विधि के उद्देश्य और आशय को प्रभावित करती है, को पूरा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से, इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या विधि का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि उस आशय को पूरा किया जा सके जिसके लिए विधि को अधिनियमित किया गया था, न कि सख्त अनुपालन की आभासी छवि को। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है "विधि के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक समग्री के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि विधि के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और उन उचित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिनके लिए इसे पारित किया गया था।

(बल दिया गया)



26. उपरोक्त चर्चा इस न्यायालय को यह विचार रखने के लिए मजबूर करती है कि अधिनियम, 1960 और नियम, 1962 के सुसंगत प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य हैं और उनका पालन नहीं किया गया है, इसलिए समामेलन की पूरी प्रक्रिया दूषित है।

27. लक्ष्मी बैंक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने तर्क दिया है कि बिलासा बैंक के विलय से संबंधित निर्णय और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है, क्योंकि वित्तीय संस्थानों से संबंधित नीतिगत निर्णय की प्रकृति के कारण, विद्वान न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

28. उपरोक्त कथन की विवेचना करने के लिए, यह न्यायालय प्रशासनिक कार्यों/आदेशों से जुड़े मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे का उल्लेख करना यह न्यायालय उचित समझता है।

29. कलिंग माईनिंग कार्पोरेशन बनाम भारत संघ और अन्य¹¹ मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया।

62. अब यह सुस्थापित है कि शासन द्वारा पारित प्रशासनिक कार्रवाई/अर्ध-न्यायिक आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन केवल विधि की त्रुटियों या मौलिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सुधारने तक सीमित है जो प्रकट अन्याय का कारण बन सकते हैं। जब प्राधिकरण के निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित होते हैं, तो न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी पुनः विवेचना नहीं की जा सकती है।

¹¹ (2013) 5 SCC 252



न्यायालय न्यायिक पुर्नविलोकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यह केवल उन मामलों में है जहां प्रशासनिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या इतने विकृत हैं कि कोई भी उचित व्यक्ति उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा होगा कि न्यायालय निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उचित होगा। न्यायिक पुर्नविलोकन का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया लेने में सीमित है न कि स्वयं निर्णय लेने में, भले ही वह गलत प्रतीत हो।

30. न्यायिक पुर्नविलोकन के दायरे से निपटने की न्यायालय की शक्ति के संबंध में,

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ ¹²में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:.

75. चीफ़ कांस्टेबल नॉर्थ वेल्स पुलिस बनाम इवांस, लॉर्ड ब्राइटमैन ने कहा:

“न्यायिक पुर्नविलोकन, जैसा कि शब्दों से पता चलता है, किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके का पुर्नविलोकन है।

* * *

न्यायिक पुर्नविलोकन का संबंध निर्णय से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। जब तक न्यायालय की शक्ति पर उस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय, मेरे विचार में, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में, खुद को सत्ता हड़पने का दोषी ठहराएगी।”

¹² (1994) 6 SCC 651



इसी प्रकरण में लॉर्ड हेलशम ने आर.एस.सी., आदेश 53 के तहत न्यायिक पुर्नविलोकन के माध्यम से उपचार के उद्देश्य पर निम्नलिखित शब्दों में टिप्पणी की:

“यह उपचार , जो विस्तार में काफी बढ़ा है, और हाल के वर्षों में एक लंबी अवधि में, एक घोषणा के लिए पुराने विशेषाधिकार रिट और कार्यों द्वारा प्रदान की गई तुलना में असीम रूप से अधिक सुविधाजनक पहुंच प्रदान की गई है, का उद्देश्य व्यक्ति को न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, और अधिकारियों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से बचाना है, जैसा कि मूल रूप से सोचा गया होगा जब मैंने पहली बार बार में अभ्यास किया था। इसका उद्देश्य उन अधिकारियों से विधि द्वारा उचित रूप से निहित शक्तियों और विवेचनाओं को छीनना और निर्णय लेने वाले निकायों के रूप में न्यायालयों को प्रतिस्थापित करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि संबंधित अधिकारी अपनी शक्तियों का उचित तरीके से उपयोग करें (पृष्ठ 1160)।”

आर. वी. मेंटेक-ओवर और विलय पर पैनल, पूर्व पी डेटाफिन पीएलसी, सर जॉन डोनाल्डसन, एम. आर. ने टिप्पणी की: “न्यायिक पुर्नविलोकन के लिए आवेदन एक अपील नहीं है।”

लोनरो पीएलसी बनाम व्यापार और उद्योग राज्य सचिव में, लॉर्ड कीथ ने कहा:

“न्यायिक पुर्नविलोकन एक संरक्षण है न कि एक हथियार।”

इस प्रकार यह एक अपील से पृथक है। अपील की सुनवाई करते समय न्यायालय अपील के तहत निर्णय के गुण-दोष से चिंतित होता है। अमीन, रे में, लॉर्ड फ्रेजर ने देखा कि:



“ न्यायिक पुनर्विलोकन किसी निर्णय के गुण-दोष से संबंधित नहीं है, बल्कि उस तरीके से संबंधित है जिसमें निर्णय लिया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन एक सामान्य अपील से पूर्णतः पृथक है। इसे न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित किए बिना प्रशासनिक निर्णय को रद्द करने से प्रभावी बनाया जाता है, और इसकी तुलना उस अपील से की जानी चाहिए जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण प्रशासनिक अधिकारी के गुण-दोष पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करता है।”

77. न्यायालय का कर्तव्य वैधता के प्रश्न तक ही सीमित रहना है। इसकी चिंता इस प्रकार होनी चाहिए:

(1) क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों का अतिलंघन किया है?

(2) विधि कि भूल की है

(3) नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

(4) एक ऐसे निर्णय पर पहुँचा जो कोई युक्तियुक्त न्यायाधिकरण नहीं पहुँचा होता, या

(5) अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा प्रकरण-दर-प्रकरण पृथक पृथक होगी। संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक





कार्रवाई न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) अवैधता: इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस विधि को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए।

((ii) अविवेकता, अर्थात् वेड्सबरी।

अनुचितता।

(vi) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं परंतु यह समय के साथ और अधिक आधार इसमें जुड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, आर. बनाम विभाग के राज्य सचिव, पूर्व ब्रिंड, लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास का उल्लेख करते हैं, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में स्वीकार की जाने वाली कसौटी यह है कि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रकृति और स्तर पर कुछ गलत हुआ है जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

31. इस प्रकार, यह स्थापित किया जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन करते समय, यह न्यायालय निर्णय लेने के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। बिलासा बैंक और लक्ष्मी बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा केवल यह पता लगाने के लिए है कि अधिनियम, 1960 और नियम, 1962 के तहत परिकल्पित समामेलन की प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं यह न्यायालय निर्णय से संबंधित नहीं है, लेकिन



समामेलन का निर्णय लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया और पंजीयक द्वारा पारित परिणामी आदेश से संबंधित है।

32. पूर्ववर्ती पैरा में की गई चर्चा से पता चलेगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया दूषित है, इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों के भीतर है कि वह न्यायिक पुनर्विलोकन के मापदंडों के भीतर आदेश की वैधता का परीक्षण करे, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने माइनिंग कारपोरेशन (पूर्वोक्त) में कहा था।

33. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति और अधिकारिता की प्रकृति को उच्चतम न्यायालय द्वारा द्वारका नाथ बनाम आयकर मामले में समझाया गया है। अधिकारी, विशेष सर्कल, डी. वार्ड, कानपुर और अन्य¹³ समझाया गया है।

इसके अंतर्गत:

“4.....यह लेख व्यापक वाक्यांशों में लिखा गया है और यह प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालयों को जहाँ भी अन्याय पाया जाता है वहाँ पहुँचने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। संविधान ने शक्ति की प्रकृति, किस उद्देश्य के लिए और जिस व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसका वर्णन करने के लिए एक व्यापक भाषा का उपयोग किया है। यह इंग्लैंड में समझे जाने वाले विशेषाधिकार रिटों की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है; लेकिन उन रिटों का दायरा भी 'प्रकृति' अभिव्यक्ति के उपयोग से व्यापक हो जाता है, क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति भारत में जारी किए जा सकने वाले रिटों को इंग्लैंड में जारी किए जा सकने वाले रिटों के बराबर नहीं करती है, बल्कि केवल उनसे एक सादृश्य खींचती है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय

¹³ AIR 1966 SC 81



विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकते हैं। यह उच्च न्यायालयों को राहत को पूरा करने के लिए ढालने में सक्षम बनाता है

इस देश की विशिष्ट और जटिल आवश्यकताएँ। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति के दायरे को अंग्रेजी न्यायालयों के साथ बराबरी करने का कोई भी प्रयास इंग्लैंड जैसे एकात्मक शासकीय वाले अपेक्षाकृत छोटे देश में वर्षों से बढ़े अनावश्यक प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को भारत जैसे विशाल देश में लागू करना है जो एक संघीय संरचना के तहत काम कर रहा है। इस तरह का निर्माण अनुच्छेद के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।

34. पुनः गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर संघ और अन्य¹⁴ में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है।

“73. जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उपचार असाधारण है और एंग्लो-सैक्सन विंटेज का है, यह अंग्रेजी प्रक्रियाओं की कार्बन कॉपी नहीं है। अनुच्छेद 226 एक बख्शने वाली प्रक्रिया है लेकिन जहाँ अन्याय होता है वहाँ लैंसेट काम करता है। जबकि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता जैसे पारंपरिक प्रतिबंध न्यायालय को रोकते हैं, और न्यायिक शक्ति को आम तौर पर वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ अन्य दो शाखाएँ चलने से डरती हैं, न्यायिक साहस को डराया नहीं जाता है जहाँ स्पष्ट अन्याय सकारात्मक कार्रवाई की भी मांग करता है। अनुच्छेद 226 के व्यापक शब्दों को उनकी शिकायतों में

¹⁴ (1980) 2 SCC 593



कम संख्या के लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है यदि विषय न्यायालय के प्रांत से संबंधित है और उपचार न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। अनुच्छेद 226 के बारे में एक मूल रंग है, जो दृष्टिकोण में एंग्लोफिलिक या एंग्लोफोबिक नहीं है। इस न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हुए, हमें दोनों में सतर्क रहना होगा जैसे कि अनुच्छेद 226 एक अपील के रूप में बड़ा था और जहां एक गंभीर त्रुटि हुई है, वहां हस्तक्षेप करने में विफल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, हम यहां उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपील करने के लिए बैठे हैं। और एक अपीलीय शक्ति तब हस्तक्षेप नहीं करती है जब अपील किया गया आदेश सही नहीं होता है, बल्कि केवल तब होता है जब यह स्पष्ट रूप से गलत होता है। अंतर वास्तविक है, हालांकि ठीक है।"

35. दशरथ गुप्ता (एच. यू. एफ.) और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य ¹⁵मामले में इस न्यायालय ने पैरा 9 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

9. अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति और अधिकारिता क्षेत्र की प्रकृति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों से निकलने वाला सामान्य सूत्र यह है कि उच्च न्यायालय की शक्ति न्यायसंगत और विवेकाधीन है। जहाँ कहीं भी अन्याय पाया जाता है, वहाँ पहुँचने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकारिता का प्रयोग करना आवश्यक है। शक्ति की कोई सीमा नहीं है, इसका प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पर्याप्त अन्याय नहीं हुआ है या होने की संभावना है और आगे यह कि न्यायालय हमेशा पूरे तथ्यों और परिस्थितियों का संज्ञान ले सकता है और न्याय को संतुलित करने के लिए उचित निर्देश पारित कर सकता है। यह भी इस

¹⁵ WP (C) No. of (decided on 30-1-2015



प्रकार है कि अनुच्छेद 226 के व्यापक शब्दों को उनकी शिकायतों में कम संख्या में लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है यदि विषय न्यायालय के प्रांत से संबंधित है और उपचार न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है और जब कोई गंभीर त्रुटि हुई है और अन्याय या मनमानेपन की शुरुआत हुई है तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने में विफल नहीं होना चाहिए।

36. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां बिलासा बैंक सुसंगत समय पर अतिक्रमण में था, तथापि सोसायटी के सदस्य एकीकरण या पुनर्गठन/विलय की योजना तैयार करने के प्रकरण में अपनी बात रखने के हकदार थे। अधिनियम, 1960 की धारा 16 और नियम, 1962 के नियम 11 में विहित आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं करके उनके अधिकारों का अतिलंघन किया गया है। जब आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तो पूरी क्वायद को छोड़ना होगा। इसलिए बिलासा बैंक का निदेशक मंडल अधिक्रमण में होने के बाद भी रिट याचिका पोषणीय है।

37. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के संबंध में उत्तरवादी की आपत्ति ठीक उसी कारण से मान्य नहीं है जिस कारण से इस न्यायालय ने रिट याचिका क्र.4095/2011 में निर्णय दिया है। इसी तरह, राज्य के विधियों पर पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबलित शक्तियों के बारे में आपत्ति का भी कोई सार नहीं है क्योंकि अधिनियम, 1949 की धारा 5 ए के साथ पठित धारा 56 में निहित प्रावधान सोसायटी के उपनियमों या समझौते या संकल्प पर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों की प्रधानता के बारे में बोलते हैं, तथापि इस न्यायालय ने इस मुद्दे को अधिनियम, 1960 के तहत निहित प्रावधानों के आधार



पर निपटाया है, न कि सोसाइटी के किसी उपनियम या समझौते या संकल्प के आधार पर।

38. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को दिनांक 18.1.2011 के आक्षेपित आदेश और उसके परिणामस्वरूप उत्तरवादी द्वारा की गई बाद की कार्रवाइयों को निरस्त करने में कोई संकोच नहीं है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

39. परिणामस्वरूप रिट याचिका स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

सही/-

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।

समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।